सं0सं0–6/N-01-28/2018.........

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
ए0एन0एम0एम0सी0एच0, गया।

पटना, दिनांकः / /2018

विषयः **प्रियंका कुमारी एवं एस्थ्र मिंज, परिचारिका श्रेणी 'ए', ए0एन0एम0एम0सी0एच0, गया को प्रतिनियुक्त संस्थान में योगदान हेतु विरमित किये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः **आपके कार्यालय पत्रांक–2243 दिनांक–21.06.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सिस्टर ट्यूटर संबंधी शैक्षणिक कार्य करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–475(6) दिनांक–05.06.2018 द्वारा क्रम संख्या–2(1) में अंकित प्रियंका कुमारी, परिचारिका श्रेणी 'ए', ए0एन0एम0एम0सी0एच0, गया को जी0एन0एम0 स्कूल, जहानाबाद में एवं क्रम संख्या–9(3) में अंकित एस्थ्र मिंज, परिचारिका श्रेणी 'ए', ए0एन0एम0एम0सी0एच0, गया को ए0एन0एम0 स्कूल, रजौली, नवादा में प्रतिनियुक्त किया गया हैं, परन्तु उक्त कर्मियों को नए संस्थान में योगदान करने हेतु अब तक विरमित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा एस0एन0सी0यू0 तथा आई0सी0यू0 में उक्त कर्मियों के कार्यरत होने के कारण विरमित करने के संबंध में पुनर्विचार करते हुए मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया हैं।

विदित हों कि अपने ही वेतनमान् में सिस्टर ट्यूटर संबंधी शैक्षणिक कार्य करने हेतु इच्छुक कर्मियों से आवेदन की माँग की गई थी। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन के आलोक में ही विभागीय आदेश ज्ञापांक–475(6) दिनांक–05.06.2018 द्वारा उक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कार्यहित में की गई हैं। आदेश का अनुपालन न कर पुर्नविचार एवं मार्गदर्शन का अनुरोध विभागीय आदेश की अवहेलना का घोतक हैं।

प्रायः ऐसे दृष्टांत आ रहें हैं कि विभागीय स्तर से निर्गत आदेशों का अनुपालन किये बिना मार्गदर्शन/पुनर्विचार का अनुरोध नियंत्री पदाधिकारी द्वारा किया जाता हैं। इस प्रकार का कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता हैं।

अतः निदेशित हैं कि सर्वप्रथम निर्गत विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त उत्पन्न हो रही समस्या अथवा पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर मार्गदर्शन/पुनर्विचार का अनुरोध किया जाए। उक्त आदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।

विश्वासभाजन
ह0/–
(राधेश्याम साह)
सरकार के अपर सचिव
पटना, दिनांकः–

ज्ञापांक :–

प्रतिलिपिः– सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/अधीक्षक, सभी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित हैं कि निर्गत विभागीय निदेशों का उपर्युक्त निदेश के अनुरूप दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

E/Rakesh/Arun jee/Letter

पटना, दिनांकः– 24/07/18

ज्ञापांक :– 655(6)

प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

U/Rakesh/Arun jee/Letter